संख्या २९७८/२-बी—४०-६४

प्रेषक,

श्री आर० वासुदेवन,
उप-सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष तथा
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, २ दिसम्बर, १९६४

विषय—लोक-सेवाओं में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व।

महोदय,

नियुक्ति (ख) विभाग।

मुझे समय-समय पर संशोधित और परिवर्द्धित शासकीय आदेश संख्या २३२८/२-बी--१०४-१९५२, दिनांक २२ सितम्बर, १९५३, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने का निदेश हुआ है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में किसी सेवा में तथा पद पर प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए रिक्तियों के कतिपय प्रतिशत का सामान्य आरक्षण होगा। विज्ञप्ति संख्या २८८२/२-बी--१३४-५२, दिनांक २६ नवम्बर, १९५२ तथा विज्ञप्ति संख्या २४९९/२-बी--१३४-५२, दिनांक १२ अगस्त, १९५५ में यह भी व्यवस्था की गई है कि उत्तर-प्रदेश के कार्यों से सम्बद्ध किसी अपवित्त अथवा राज-पत्रित सेवा अथवा पद पर भर्ती के लिए अनुसूचित जाति के किसी उम्मीदवार की दशा में अधिकतम आयु-सीमा, उन उम्मीदवारों के लिए, जो अनुसूचित जाति के नहीं है, निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा से ५ वर्ष अधिक होगी। एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या आयु-सीमा के सम्बन्ध में उपर्युक्त आरक्षण तथा रियायत ऐसे उम्मीदवारों को मिल सकती है जो उन जातियों के हैं जिन्हें केवल उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है अथवा उन जातियों को भी मिल सकती है जिन्हें संघ के किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जातियों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस सम्बन्ध में स्थिति यह है कि संविधान के अनुच्छेद २४१(१) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति की निर्दिष्ट (specification) देश को एक इकाई के रूप में अथवा सम्पूर्ण भारत के आधार पर न मान करके, राज्यवार की गई है। अतएव इसका अभिप्राय यह निकलता है कि एक राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जाति के रूप में स्वीकृत किसी जाति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में भी अनुसूचित जाति हो तदनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार के अन्तर्गत सेवाओं तथा पदों पर भर्ती के लिए रिक्तियों का आरक्षण तथा आयु-सीमा में रियायत केवल ऐसे उम्मीदवारों को मिल सकती है जो उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों के रूप में निर्दिष्ट जातियों के हैं न कि संघ के किसी अन्य राज्य के सम्बन्ध में।

३—किन्तु मुझे यह स्पष्ट करना है कि उपर्युक्त पैरा १ में उल्लिखित उम्मीदवारों का वह वर्ग, जो अन्य राज्यों की अनुसूचित जातियों का है, और अन्य ऐसे उम्मीदवार, जो किसी भी अनुसूचित जाति के नहीं हैं और जो उत्तर प्रदेश से बाहर के निवासी हैं, राज्य सरकार के अन्तर्गत सेवाओं तथा पदों की आरक्षित न की गई रिक्तियों पर भर्ती के लिए पात्र बनें रहेंगे क्योंकि पात्रता से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिए उत्तर प्रदेश में निवास-सम्बन्धी अपेक्षा, जो पहले निर्धारित थी, पब्लिक इम्प्लायमेंट (रेक्वायरमेंट ऐज टू रेजीडेंस) ऐक्ट, १९५७ के उपबन्धों के अनुसरण में समाप्त कर दी गई है।

भवदीय,
आर० वासुदेवन,
उप-सचिव।

संख्या २९७८(१)/२-बी—४०-६४

प्रतिलिपि सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उनके पत्र-संख्या जी।२८२२ (२) २०२-४५, दिनांक २७ जुलाई, १९६४ के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

संख्या २९७८(२)/दो-बी--४०-१९६४

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित:

(१) सचिवालय के समस्त विभाग।
(२) श्री राज्यपाल के सचिव, उत्तर प्रदेश।
(३) मन्त्रियों के सूचनार्थ, मन्त्रियों के समस्त वैयक्तिक सहायक।
(४) समस्त उप-मन्त्री तथा संसदीय सचिव।

आज्ञा से,
आर० वासुदेवन,
उप-सचिव।

15/12/64

वरिष्ठ महालेखाकार (स्थापना)
उ०प्र०, लखनऊ